न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 02/2024(जी.सी.एम.एस. 2024/149)

अपीलांट	बनाम रेस्पोडेन्ट
1. बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर।	1. हरजोत सिंह दत्तक पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ तहसील श्रीकरणपुर।

अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम- 1956

तारीख रजू:- 29.05.2024

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता अपीलांट

--निर्णय-- दिनांकः 18.11.2024

1- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख नि. अरायण तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35, 36 में जसवीर कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ के नाम भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी। जसवीर कौर के देहान्त के पश्चात उक्त भूमि पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील अनवान बलवीर सिंह आदि बनाम जसवीर कौर आदि प्रकरण संख्या 6636/2017 में दिनांक 15.11.2017 का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी उक्त भूमि का विरास्तन नामान्तरण 925 दिनांक 23.01.2024 रेस्पोडेन्ट हरजोत सिंह के नाम दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा ग्राम पंचायत अरायण के सरपंच से सम्पर्क किया गया तो उनके द्वारा दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण दर्ज करना प्रकट किया व उक्त नामान्तरण अस्वीकृत करने की असमर्थता जाहिर कि व माननीय न्यायालय में अपील पेश करने की हिदायत दी। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख नि. अरायण तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35, 36 के सबंध में स्वीकृत नामांतरण संख्या 925 दिनांकित 23.01.2024 ग्राम पंचायत अरायण को निरस्त करने के आदेश दिये जावे एंव वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 35 व 36 में हरजोत सिंह दत्तक पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी पदमपुर के स्थान पर जसवीर कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 39 एफ दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

2- अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आया।

3- बहस अपीलांट अधिवक्ता सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख नि. अरायण तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35 की प्रति, राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख नि. अरायण तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 36 की प्रति, नामान्तरण संख्या 925 की प्रति, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन अपील संख्या 6636/2017 की प्रमाणित प्रति व स्थगन आदेश की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा राजस्व ग्राम 34 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू-अभिलेख नि. अरायण तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 35, 36 के सबंध में स्वीकृत नामातंरण संख्या 925 दिनांकित 23.01.2024 ग्राम पंचायत अरायण को खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। लिहाजा वादगत भूमि के संबध में अपीलांट के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत अपील संख्या 6636/2017 लम्बित है, अगर अपील स्वीकार होती है, तो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की पालना में वादगत भूमि की पूर्व की स्थिति बहाल हो सकती है। अतः वादगत भूमि की माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील लम्बित होने के कारण चक 34 एफ के इन्तकाल संख्या 925 दिनांक 23.01.2024 को खारिज किया जाना हम विधिसंगत नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

-:आदेश:-

4- अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलान्ट विरूद्ध विरासतन इन्तकाल संख्या 925 दिनांक 23.01.2024 भली-भांति साबित नहीं होने पर खारिज/अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 18.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर